भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 279

उत्तर देने की तारीख 27 नवंबर, 2024

बुधवार, 6 अग्रहायण 1946 (शक)

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना

279. श्रीमती फूलो देवी नेतम: श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत पिछले पांच वर्षों में राज्य-वार नामांकन की कुल संख्या क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास 2025-26 तक 46 लाख प्रशिक्षुओं के नामांकन के राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस रणनीति है; और

(घ) उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का बाजार की मांग के अनुरूप होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का उद्देश्य शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत नियमों के तहत नियुक्त प्रशिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। इस स्कीम को 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखने के लिए बढ़ाया गया था। इस स्कीम के तहत विगत 5 वर्षों में कुल 27.73 लाख शिक्षु नियुक्त किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षुओं की संख्या वर्तमान में 14.20 लाख है और उनमें से 1.97 लाख अन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) एनएपीएस के शुभारंभ के बाद से, मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षुओं की संख्या वर्ष 2016-17 में 1.11 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 9.31 लाख हो गई है। एनएपीएस-2 के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 46 लाख युवाओं का लक्ष्य है। शिक्षुता संबद्धता को सक्षम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

 उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षुता पोर्टल की कार्य-क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
 राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम-2 (एनएपीएस-2) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
 मूल प्रशिक्षण प्रदाता (बीटीपी) और तृतीय पक्ष एग्रीगेटर के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं।
 उद्योगों को छह (6)/नौ (9)/बारह (12) महीने की अवधि के प्रासंगिक वैकल्पिक ट्रेड/ पाठ्यक्रम प्रदान करने का अवसर दिया गया है।

मीडिया और एडवोकेसी के संदर्भ में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) एक मंच के रूप में भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों/उद्योगों में मौजूद विभिन्न शिक्षुता अवसरों के बारे में युवाओं को जागरूकता प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मासिक आधार पर देश भर में पीएमएनएएम का आयोजन कर रहे हैं। यह राज्य के कुल जिलों की संख्या के 1/3 में हर दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है ताकि सभी जिलों को तिमाही में एक बार और वर्ष में चार बार शामिल किया जा सके। अब तक, जून 2022 से अक्तूबर 2024 तक पूरे भारत में 4,426 स्थानों पर पीएमएनएएम का आयोजन किया गया है, जिसमें 5.29 लाख उम्मीदवारों और 32,270 प्रतिष्ठानों ने भाग लिया है।

शिक्षुओं की संख्या में वृद्धि को और अधिक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

 एनएपीएस-2 के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केंद्रीय स्तर पर स्कीम की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) और स्कीम मॉनिटरिंग एवं समीक्षा समिति (एसएमआरसी) तथा राज्य कार्यान्वयन समीक्षा समिति (एसआईआरसी) का गठन किया गया है।
 उम्मीदवारों, प्रतिष्ठानों, उद्योग संघों/वाणिज्य मंडलों, उद्योग समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए हितधारकों के साथ कार्यशालाएं, संगोष्ठी, वेबिनार आदि आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एमएसएमई, शैक्षणिक संस्थानों, कुशल भारत प्रशिक्षण भागीदारों, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके), आईटीआई, जेएसएस आदि की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

 मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के प्रधान सचिवों, निफ्टी 500 और शीर्ष सीएसआर 500 कंपनियों को अर्ध शासकीय पत्र भेजे गए हैं

 एमएसएमई के क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत शामिल क्लस्टरों की सूची राज्यों के साथ साझा की गई है। राज्यों को आरडीएसडीई और एसएससी के समन्वय में शिक्षुओं की सक्रिय भागीदारी के लिए उद्योग क्लस्टरों को संवेदनशील बनाना है।

 मंत्रालय की ओर से अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को अर्ध शासकीय पत्र भेजे गए हैं, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों को शिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

 प्रशिक्षण महानिदेशालय से अनुरोध किया गया है कि वे शिक्षुता के अवसरों के लिए 15 लाख आईटीआई उत्तीर्णों के पंजीकरण की सुविधा के लिए आईटीआई प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

 विभिन्न उद्योग संघों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (सीपीएसयू) के साथ संपर्क शुरू किया गया है।

 क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई), राज्य, क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) और तृतीय पक्ष एग्रीगेटर्स (टीपीए) शिक्षुता नियुक्ति की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है।

अनुबंध

पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत राज्य-वार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति।

राज्य	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	सकल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		3	9	41	48	101
आंध्र प्रदेश	3,860	4,394	15,722	16,203	21,701	61,880
अरुणाचल प्रदेश		3	18	42	65	128
असम	2,204	2,452	14,006	9,661	8,173	36,496
बिहार	1,155	1,237	6,476	5,543	5,317	19,728
चंडीगढ़	346	280	813	671	1,227	3,337
छत्तीसगढ	5,637	1,653	2,660	4,881	5,259	20,090
दिल्ली	4,937	7,784	17,799	15,818	15,956	62,294
गोवा	1,720	2,032	3,432	4,406	11,882	23,472
गुजरात	45,107	56,911	69,567	76,226	83,955	3,31,766
हरियाणा	18,920	31,853	42,343	62,865	66,720	2,22,701
हिमाचल प्रदेश	1,898	1,767	5,669	6,825	10,212	26,371
जम्मू और कश्मीर	304	260	832	989	859	3,244
झारखंड	2,133	5,034	8,258	9,152	11,882	36,459
कर्नाटक	13,764	17,276	42,084	58,523	78,456	2,10,103
केरल	3,899	6,426	8,975	11,275	13,104	43,679
लद्दाख		6	18	28	66	118
लक्षद्वीप		18	4	9	6	37
मध्य प्रदेश	6,942	9,522	17,093	21,205	22,707	77,469
महाराष्ट्र	36,617	71,475	1,46,865	1,85,999	2,63,245	7,04,201
मणिपुर	16	11	90	32	18	167
मेघालय	51	105	117	181	212	666
मिजोरम	4	1	4	4		25

राज्य	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	सकल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					12	
नगालैंड	14	1	27	22	15	79
ओडिशा	3,391	3,681	8,296	10,458	10,755	36,581
पुदुचेरी	481	299	1,090	1,343	2,469	5,682
पंजाब	2,856	4,459	11,659	15,361	14,761	49,096
राजस्थान	4,073	6,417	9,473	15,204	18,230	53,397
सिक्किम	128	162	308	202	298	1,098
तमिलनाडु	13,602	24,912	49,929	72,311	1,01,553	2,62,307
तेलंगाना	9,654	13,996	38,454	31,821	37,774	1,31,699
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	97	597	1,282	1,006	2,878	5,860
त्रिपुरा	437	255	244	368	383	1,687
उत्तर प्रदेश	12,584	19,955	38,039	56,946	71,504	1,99,028
उत्तराखंड	2,489	4,360	9,986	16,436	21,058	54,329
पश्चिम बंगाल	6,149	7,370	18,791	26,109	29,538	87,957
सकल योग	**2,05,469**	**3,06,967**	**5,90,432**	**7,38,166**	**9,32,298**	**27,73,332**

*****